

प्रस्तावित वन भूमि के स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी 0 0.00 से किमी 0 81.204 तक के 4 लेन चौड़ाकरण में प्रयुक्त हो रहे 8.3137 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है जिसमें बाधक 849 वृक्ष का पातन कार्य प्रस्तावित है। उपरोक्त वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व है जो आरक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि की श्रेणी में घोषित है। उपरोक्त 04 लेन चौड़ाकरण कार्य हेतु वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।


Project Director
PIUNHAI
Gorakhpur


(विकास आदव)
Divisional Forest Officer
Gorakhpur Forest Division
Gorakhpur